

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : W.P. No. 75-331 2015 द्वारा कुं कामिनी श्रीवास्तव,
विरुद्ध म० प्र० शासन एवं अन्य।

(गान्धी जी वक्ता)
का विभाग

① पं क्र: 2856/2015 - दिनांक 07/12/2015

② पं.क्र. 2890/2015 - दिनांक 11/12/2015

3 P-1/c

$p - 25/C$
(द्वितीय 'अ')

विषयांतर्गत उच्च न्यायालय खण्ड पीठ,
ग्वाळियर से प्राप्त पत्र दिनांक 16/11/2015 एवं
सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक
01/12/2015 का कृपया देवलोका न हों। उक्त
पत्रों द्वारा उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ ग्वाळियर
से प्राप्त याचिका (क्रमांक 7533/2015) में
प्रभारी अधिकाारी नियुक्त करने हेतु नस्ती
संवाक्य, तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य करना
चाहेंगे।

अनु० अधि०

~~U.S.~~

2011

12-16

AS (DD)

~~DTG~~

Petition की
अध्ययन की
आविष्कार की

R.O. / IT / SA-VIII

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा एवं
कौशल विकास विभाग

~~മനോരമ~~ O.T.C. മെന്റാൽ

02/02/16

वेमा नलि मा. ज्यामरु मे कण्ड
सकसीकमे पानुतवेमक डेमदुगनी साखा-8
का उचित किरा फाला उचित है

SA-VIII

$$\left(\frac{1}{3/2/20/6} \right)$$
$$\frac{2}{5} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{1} = \frac{4}{5}$$

$$\begin{array}{r} 1000052-2856/15/42-1 \\ \hline 01/02/16 \end{array}$$

Despatch No. 117 /AS/TEASD/15

DATED 11/21/16

28/6
212/18
28/6
212/18

3/2/2016

R. 2856/2015/42-1

विषय : W.P. No. 7533/2015 द्वारा कुं. कामिनी
श्रीवास्तव विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य

का विभाग

120

8500

पूर्व पृष्ठ से

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संचालक, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं. अतिरिक्त आदेश जारी करने के नतीजे सिद्ध विभाग अंतिम करना चाहेंगे।

अन्तः

951000

विधि विभाग।

183.12

21/3/16

1713

4/05/12

(1)

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा विभाग
पंजी क्र. 2856/42-1
दिनांक 07-12-15

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 33943/2015

WP/7533/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION

Fixed for 18-12-2015

DA- 05

Respondent No. 1

RAD

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,
Principal Secretary, Technical Education &
Skill Development Department, Vallabh
Bhawan, Bhopal
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 16-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 7533/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ku. Kamini Shrivastav** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7533/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

[Signature]
18-11-15

SECTION OFFICER

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

22

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004.

// आदेश //

/भोपाल, दिनांक 8/12/2015

क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/1864 / मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 705/146/2010/42-1 दिनांक 7.4.2010 द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा को प्रदत्त अधिकारों के तहत कु. कामिनी श्रीवास्तव द्वारा राज्य शासन एवं अन्य के विरुद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत डब्ल्यू.पी. क्रमांक 7533/2015 में शासन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षण करने, प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं अनिकथन पत्रों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिये श्री एम.एल.भार्गव, व्याख्याता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोलिटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संचालक, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

/भोपाल, दिनांक 8/12/2015

पृष्ठा. क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/1865

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
 2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से प्रकरण का पक्ष समर्थन करने का कष्ट करें।
 4. समन्वय अधिकारी पोलिटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर।
 5. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोलिटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर।
 6. श्री एम.एल.भार्गव, व्याख्याता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोलिटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय अधिवक्ता के मार्गदर्शन में वादोत्तर तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। तथा प्रस्तुत वादोत्तर की तीन प्रति सहपत्रों सहित संचालनालय को भेजें। प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क साधकर समुचित वादोत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाय।
- (अ) संचालक तकनीकी शिक्षा को समय-समय पर स्थिति से अवगत कराया जाये व प्रकरण का अन्तिम निराकरण होने के उपरांत माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करें और उस पर शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता का मत तुरन्त प्राप्त करें और उनके निर्णय/मत का तथ्यात्मक रूप से पूर्ण परीक्षण करके स्वयं के मत से भी अवगत करावें और शासकीय अधिवक्ता एवं अपने मत सहित समय पर संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करावे।
- (ब) यदि प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय गलत हो अथवा उसमें तांत्रिक त्रुटि हो तो उसके विरुद्ध शासन की ओर से माननीय न्यायालय में अपील पुनरीक्षण अथवा पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही समय पर ही की जाय और की गई कार्यवाही से संचालनालय एवं शासन को उक्त याचिका की प्रति सहित अवगत कराया जाये।
- (स) प्रकरण में शासन हित संरक्षण में हुए किसी भी प्रकार के विलम्ब/गलती/हानि के लिये प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. अधीक्षक, उपविभाग-3 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल। कृपया प्रभारी अधिकारी से आवश्यकतानुसार प्रकरण में पत्र व्यवहार सीधे करें।

संचालक, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

Received 07.12.15
Ramesh
Kshy